न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 638/2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

यादविन्द्र सिंह पुत्र श्री केवल सिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

— वादी

बनाम्

1. केवल सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. निन्द्रपाल कौर पुत्री श्री केवल सिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री महावीर बेरड़—वकील वादी
2. श्री कुलदीप मूण्ड —वकील प्रति.सं. 1 ता 2

निर्णय

दिनांक :— 7-3-2025

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी व प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार वही है जो कि वाद शीर्षक में अंकित है। प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता एवं प्रतिवादीया सं. 2 वादी की बहिन है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 4 ए.एम.पी. के खाता सं. 214/30 जमाबन्दी सम्वत् 2071—74 में 0.600 है. कृषि भूमि तथा चक 1 ए.एम.पी. दी के खाता सं. 163/27 जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 में 2.277 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 2 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया क्योकि प्रतिवादी सं. 2 की शादी अच्छा दान दहेज देकर अच्छे परिवार में कर दी है वह अपने परिवार में राजी खुशी रहकर जीवनयापन कर रही है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैं:—

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

(क) वादी यादविन्द्र सिंह पुत्र श्री केवल सिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः— तहसील संगरिया के चक 4 ए.एम.पी. के खाता सं. 214/30 जमाबन्दी सम्वत् 2071—74 में 0.600 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 केवल सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः— तहसील संगरिया के चक 1 ए.एम.पी. वी के खाता सं. 163/27 जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 में 2.277 है. कृषि भूमि

वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के कारण, प्रतिवादी सं. 2 को विधिक वारिसान होने के कारण एवं प्रतिवादी सं. 3 को भू—धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 4 ए.एम.पी. के खाता सं. 214/30 जमाबन्दी सम्वत् 2071—74 में 0.600 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी संख्या 3 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी यादविन्द्र सिह ने अपना शपथ पत्र अ.आं.18 नियम 4 सीपीसी पेश कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 में वर्णित अनुसार विरास्तन साक्ष्य में चक 4 एएमपी के खाता संख्या 46/58 जमाबन्दी सम्वत 2057 की जमाबन्दी की प्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 4 एएमपी के खाता संख्या 214/30 जमाबन्दी सम्वत 2070—2073 में 0.600 हैक्ट. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 केवल सिह के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबित करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 4 एएमपी के खाता संख्या 46/58 जमाबन्दी सम्वत 2057 की फोटो प्रति पेश की गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रतिवादी संख्या 1 केवल सिह पुत्र करनैल सिह के नाम चक 4 एएमपी के खाता संख्या 214/30 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में आराजी दर्ज राजस्व है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता सहमति का जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाबदावा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि चक नं. 4 एएमपी खाता सं. 214/30 मे प्रतिवादी संख्या 1 केवल सिह पुत्र करनैल सिह के नाम दर्ज कृषि भूमि कं वादी यादविन्द्र को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 7-3-2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिक्री वमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 638/2024

यादविन्द्र सिंह पुत्र श्री केवल सिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1 केवल सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2 विन्द्रपाल कौर पुत्री श्री केवल सिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3 तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक नं. 4 एएमपी खाता सं. 214/30 मे प्रतिवादी संख्या 1 केवल सिह पुत्र करनैल सिह के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी यादविन्द्र को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोटः– यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज.....X.....नल.....X.....मुब्लिक.....X.....निल.....X.....बाबत्.....X.....निल.....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....X..... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 7.3.2025 .....को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner